पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1990

दिनांक- 02.11.2026

लखनऊ कमिश्नरेट के अन्तर्गत थाना- वजीरगंज क्षेत्र के मनबढ़ एवं दबंग व्यक्ति मो0 सैफ को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम- 1970 के तहत लखनऊ की सीमा से 06 माह हेतु निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का पारित किया गया आदेश-

मा0न्यायालय पुलिस आयुक्त, लखनऊ में लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु संस्थित वाद संख्याः- 136(22)/2026 से सम्बन्धित विपक्षी के विरुद्ध मा0 न्यायालय में उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम- 1970 की धारा 03 के तहत विपक्षी व अभियोजन पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। राज्य की ओर से उपस्थित **विद्वान संयुक्त निदेशक अभियोजन** द्वारा अपने तर्कों के माध्यम से विपक्षी को लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिलाबदर) किया जाना उचित बताया गया। विद्वान संयुक्त निदेशक अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के परिशीलन से संतुष्ट होते हुए आज दिनांक- 02.11.2026 को खुले न्यायालय में विपक्षी के आपराधिक कृत्यों पर अंकुश लगाये जाने के क्रम में मो0 सैफ को गुण्डा घोषित करते हुए लखनऊ की सीमा से 06 माह हेतु निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का आदेश पारित किया गया।

थाना	क्र0सं0	वाद सं0	नाम पता विपक्षी	आपराधिक इतिहास				
				क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जिलाबदर की अवधि
वजीरगंज	1	136(22)/2026	मो0 सैफ पुत्र बाबू खान निवासी किराये का मकान हैदर सादिक लाल मस्जिद के पास हैदर मिर्जा रोड गोलागंज थाना वजीरगंज, लखनऊ उम्र 22 वर्ष	1	73/2024	34/392/411/413 भादवि	वजीरगंज	06 माह
				2	09/2025	115(2)/352/303(2)/317(2) बीएनएस	वजीरगंज	
				3	164/2025	304/317(2)//3(5) बीएनएस	वजीरगंज	

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1991

दिनांक- 02.11.2026

लखनऊ कमिश्नरेट के अन्तर्गत थाना- वजीरगंज क्षेत्र के मनबढ़ एवं दबंग व्यक्ति विकास सोनकर उर्फ छोटा बउआ को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम- 1970 के तहत लखनऊ की सीमा से 06 माह हेतु निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का पारित किया गया आदेश-

मा0न्यायालय पुलिस आयुक्त, लखनऊ में लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु संस्थित वाद संख्याः- 152(26)/2026 से सम्बन्धित विपक्षी के विरुद्ध मा0 न्यायालय में उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा 03 के तहत विपक्षी व अभियोजन पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। राज्य की ओर से उपस्थित **विद्वान संयुक्त निदेशक अभियोजन** द्वारा अपने तर्कों के माध्यम से विपक्षी को लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिलाबदर) किया जाना उचित बताया गया। विद्वान संयुक्त निदेशक अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के परिशीलन से संतुष्ट होते हुए आज दिनांक- 02.11.2026 को खुले न्यायालय में विपक्षी के आपराधिक कृत्यों पर अंकुश लगाये जाने के क्रम में विकास सोनकर उर्फ छोटा बउआ को गुण्डा घोषित करते हुए लखनऊ की सीमा से 06 माह हेतु निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का आदेश पारित किया गया।

थाना	क्र0सं0	वाद सं0	नाम पता विपक्षी	आपराधिक इतिहास				
				क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जिलाबदर की अवधि
वजीरगंज	1	152(26)/2026	विकास सोनकर उर्फ छोटा बउआ पुत्र स्व0 पप्पू उर्फ सुरेन्द्र सोनकर निवासी- 175/15, पीर जलील, खटिकाना, कैसरबाग बस स्टैण्ड थाना वजीरगंज लखनऊ उम्र 22 वर्ष	1	215/2023	323/504/506 भादवि	वजीरगंज	06 माह
				2	17/2025	191(2)/115(2)/352/351(2)/351(3) बीएनएस	वजीरगंज	
				3	40/2026	115(2)/352/324(4)/324(5)/125 बीएनएस	वजीरगंज	

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1988
दिनांक- 02.11.2026

जोन- उत्तरी/ थाना-रहीमाबाद जनपद लखनऊ

- **आपरेशन किरन के तहत मिशन शक्ति केन्द्र थाना रहीमाबाद द्वारा पारिवारिक विवाद में पति पत्नी के मध्य करायी गयी सफल मध्यस्थता। परिवार को बिखरने से बचाया गया।**

01.संक्षिप्त विवरण:-



आपरेशन किरन के तहत पुलिस उपायुक्त महोदय उत्तरी कमिश्नरेट की पहल पर मिशन शक्ति केन्द्र थाना रहीमाबाद द्वारा पारिवारिक विवाद से उत्पन्न पति पत्नी के मध्य आपसी मनमुटाव का काउंसलिंग एवं मध्यस्थता के माध्यम से सफलतापूर्वक निस्तारण कराया गया।

काउंसलिंग के दौरान मिशन शक्ति केन्द्र की टीम द्वारा एवं हल्का प्रभारी द्वारा पति पत्नी की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा दोनों के मध्य सकारात्क संवाद स्थापित कर आपसी मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया गया। प्रभावी काउंसलिंग एवं समझाइस के फलस्वरूप दोनों पति पत्नी अपने मतभेद भुलाकर आपसी सहमति से पुनः साथ रहने के लिये सहमत हुये।

मिशन शक्ति केन्द्र थाना रहीमाबाद की टीम द्वारा दोनों पक्ष के मध्य सुलह समझौता कराते हुये पुनः आपसी प्रेम व सौहर्द एवं विश्वास के साथ पारिवारिक जीवन आगे बढ़ाने हेतु समझाया गया। मिशन शक्ति केन्द्र की इस पहल के द्वारा स्थानीय लोगों द्वारा सराहना की गयी।

आपरेशन किरन का उद्देश्य संवाद, काउंसलिंग एवं आपसी सहमति के माध्यम से पारिवारिक विवादों का शान्तिपूर्ण समाधान कर परिवारों को टूटने से बचाना। आपसी समझ एवं विश्वास को बढ़ावा देना तथा परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखना है।

02.मध्यस्थता कराने वाली टीम का विवरण:-

01. म0उ0नि0 संध्या पटेल थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ।
02. का0 ओमप्रकाश यादव थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1992
दिनांक-02.11.2026

जोन-दक्षिणी/थाना-मोहनलालगंज

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी से फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा गैर-इरादतन हत्या के अभियुक्त को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 5000/-रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

01-कार्यवाही का विवरण-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश महोदय के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विक्शन** के दृष्टिगत, **पुलिस आयुक्त, श्री तरूण गाबा महोदय** व **संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय श्रीमती अपर्णा कुमार** द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालय मे अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालय में सघन पैरवी के क्रम में **पुलिस उपायुक्त दक्षिणी** व **अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी** के निर्देशन में सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज व प्रभारी निरीक्षक थाना मोहनलालगंज के नेतृत्व में थाना स्थानीय के पैरोकार का0 सुनील कुमार के द्वारा प्रभावी पैरवी व अथक प्रयास किया गया।

02-संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 18.02.2025 को वादी के द्वारा दी गई तहरीरी सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0- 46/2025 धारा 105 BNS थाना मोहनलालगंज लखनऊ** बनाम राजकुमार पुत्र प्यारे लाल निवासी ग्राम आनन्दपुर, थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ के पंजीकृत किया गया। जिसमें **आरोप पत्र दिनांक 05.03.2025** को मा0 न्यायालय दाखिल किया गया।

जिसमें मा0 न्यायालय ए0डी0जे0 -20 जनपद लखनऊ द्वारा संज्ञान लेकर आरोप का निर्धारण किया गया। थाना-मोहनलालगंज पुलिस ने उक्त प्रकरण में कुशल पैरवी करते हुए **वाद सं0-850/2025 मु0अ0सं0- 46/2025 धारा 105 BNS थाना मोहनलालगंज लखनऊ** में अभियुक्त के द्वारा वादी की पुत्री उम्र करीब 30 वर्ष को डन्डे से मारना पीटना जिससे वादी की पुत्री की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध मे दिनांक- 30.10.26 को दोषसिद्ध कराते हुए मा0 न्यायालय से **07 वर्ष का कठोर कारावास एवं और 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की है।**

03-फैसला का विवरण—

मा0 न्यायालय ए0डी0जे0 -20 जनपद लखनऊ द्वारा मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त राजकुमार पुत्र प्यारे लाल निवासी ग्राम आनन्दपुर, थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ को **धारा 105 BNS में दोषी पाते हुए 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं और 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया** व **अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।**

04- अभियुक्त का विवरण- राजकुमार पुत्र प्यारे लाल निवासी ग्राम आनन्दपुर, थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ

05-पैरवीकर्ता-

1- प्रभारी निरीक्षक श्री रामबाबू सिंह थाना मोहनलालगंज लखनऊ।
2- का0 सुनील कुमार पैरोकार थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1983
दिनांक- 02.11.2026

जोन- पश्चिमी/ थाना-वजीरगंज

- **आँखों में मिर्च झोंककर बुजुर्ग से सोने की चेन छीनने वाले अभियुक्त को थाना वजीरगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से पीली धातु का चेन का टुकड़ा बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक **26.10.2026** को वादी मुकदमा श्री आशीष कुमार वर्मा पुत्र श्री बैजनाथ प्रसाद वर्मा निवासी जवाहर नगर, हाथी पार्क के सामने, लखनऊ द्वारा थाना वजीरगंज पर लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि अज्ञात दो व्यक्तियों द्वारा उनके पिता की आंखों में मिर्च झोंककर उनके गले से सोने की चेन छीन ली गई तथा मौके से फरार हो गए। उक्त प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना वजीरगंज पर **मु0अ0सं0 274/2026, धारा 304(2) बीएनएस** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा तत्काल अभियुक्तों की तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु प्रयास प्रारम्भ किए गए। पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल एवं आसपास के क्षेत्रों में जानकारी एकत्रित करते हुए अभियुक्तों की पहचान एवं गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे।

इसी क्रम में पुलिस टीम द्वारा प्राप्त महत्वपूर्ण जानकारी एवं मुखबिर खास से प्राप्त सूचना के आधार पर घटना में संलिप्त अभियुक्त की पहचान करते हुए उसकी गिरफ्तारी हेतु कार्रवाई की गई। दिनांक **02.11.2026** को थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा निर्माणाधीन ग्रीन कॉरिडोर पुल के नीचे, फल मंडी के पास रेलवे लाइन के किनारे से अभियुक्त **खुशहाल कश्यप उर्फ तुषार उर्फ शूटर पुत्र संतराम कश्यप, निवासी मोहन मेकिंग रोड, छत्ते के पास झोपड़ी, थाना मदेयगंज, कमिश्नरेट लखनऊ, उम्र करीब 19 वर्ष** को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना से संबंधित **पीली धातु की चेन के टुकड़े बरामद** किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडी-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैने गलत सगंत में पड़कर यह काम किया है इस बार गलती हो गयी है मुझे माफ कर दीजिये ।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. खुशहाल कश्यप उर्फ तुषार उर्फ शूटर पुत्र संतराम कश्यप निवासी हाल पता मोहन मेकिंग रोड छत्ते के पास झोपड़ी थाना मदेयगंज कमिश्नरेट लखनऊ उम्र-19 वर्ष

04-अनावरित अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0सं0 274/2026 धारा-304(2),317(2) भा0न्य0सं0 थाना वजीरगंज लखनऊ

05-बरामदगी विवरण –

- पीली धातु की चेन का टुकड़ा

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना वजीरगंज लखनऊ -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार त्रिपाठी थाना वजीरगंज कमिश्वरेट लखनऊ
2. उ0नि0 श्री राहुल करन सिंह थाना वजीरगंज कमिश्वरेट लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री रंजीत कुमार पाठक थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ
4. उ0नि0 श्री सुमित कुमार थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ।
5. हे0 का0 उमेश चन्द्र थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ।
6. का0 रोहित पासवान थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ।
7. का0 संतोष कुमार थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1979
दिनांक-02.11.2026

जोन-पश्चिमी/ थाना- सआदतगंज

- ***थाना सआदतगंज क्षेत्रान्तर्गत हुई सनसनीखेज हत्या का मुख्य नामजद अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार।***

01-कार्यवाही-

दिनांक 31.10.2026 को थाना सआदतगंज क्षेत्रान्तर्गत हुई रेहान गाजी की सनसनीखेज हत्या की घटना (मु०अ०सं० 0257/2026 धारा 191(2)/352/103(1) BNS) में वांछित मुख्य नामजद अभियुक्त उजैफा को दिनांक 01.11.2026 की रात्रि में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए थाना दुबग्गा क्षेत्र के आम्रपाली चौकी क्षेत्र स्थित पावर हाउस के पीछे से पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 31.10.2026 को रात्रि लगभग 08:30 से 09:00 बजे के मध्य थाना सआदतगंज क्षेत्र के रामनगर कैम्पवेल रोड, बालागंज पर अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर पूर्व नियोजित साजिश के तहत रेहान गाजी की चाकू से मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना सआदतगंज पर मु०अ०सं० 0257/2026 धारा 191(2)/352/103(1) BNS पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था।

दिनांक 01.11.2026 को रात्रि करीब 10:45 बजे थाना दुबग्गा क्षेत्रान्तर्गत आम्रपाली चौकी क्षेत्र स्थित पावर हाउस के पीछे थाना दुबग्गा पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहनों व व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। उसी समय उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना सआदतगंज व सर्विलांस टीम द्वारा भी मौके पर दुबग्गा पुलिस टीम के साथ संदिग्ध की चेंकिग की जा रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर भागने लगा और पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से फायर झोंक दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ एवं जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें उक्त अभियुक्त के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। पूछताछ व तस्दीक के दौरान अभियुक्त की पहचान उक्त हत्याकांड के मुख्य नामजद अभियुक्त उजैफा के रूप में हुई, जिसे तत्काल उपचार हेतु पुलिस हिरासत में ट्रामा सेंटर, लखनऊ भिजवाया गया। मौके पर साक्ष्य संकलन व अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. उजैफा पुत्र परवेज, निवासी- गुलाब की बगिया, मोहज्जम नगर, अंबरगंज / यासीनगंज, थाना सआदतगंज, लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष

04-गिरफ्तारी स्थान एवं दिनांक-

अभियुक्त उजैफा: थाना दुबग्गा क्षेत्रान्तर्गत आम्रपाली चौकी क्षेत्र स्थित पावर हाउस के पीछे — दिनांक 01.11.2026, समय करीब 22:50 बजे।

05-पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु०अ०सं० 0257/2026 धारा 191(2)/352/103(1) BNS थाना सआदतगंज, लखनऊ।
2. पुलिस मुठभेड़ व जानलेवा हमले के संबंध में थाना दुबग्गा पर मु0अ0सं0- 0334/2026 धारा 109(1) BNS व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत

06-बरामदगी विवरण :

- 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर
- 02 अदद खोखा कारतूस
- 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
- 01 अदद मोटर साईकिल

07- आपराधिक इतिहास –

1. उजैफा पुत्र परवेज, निवासी- गुलाब की बगिया, मोहज्जम नगर, अंबरगंज / यासीनगंज, थाना सआदतगंज, लखनऊ।

क्र0सं	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1	334/26	109(1) BNS व 3/25/27 आर्म्स एक्ट	दुबग्गा
2	257/26	191(2)/352/103(1) BNS	सआदतगंज
3	408/25	115(2)/351(2)/352 बीएनएस	ठाकुरगंज
4	283/22	414 भादवि	आलमबाग
5	227/22	34/392/411/413/414 भादवि	हसनगंज

08- गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अशोक कुमार सोनकर, थाना सआदतगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. प्रभारी निरीक्षक श्रीकान्त राय , थाना दुबग्गा, कमिश्नरेट लखनऊ
3. उ0नि0 लवकुश यादव थाना दुबग्गा, कमिश्नरेट लखनऊ
4. उ0नि0 योगेन्द्र कुमार थाना सआदतगंज , कमिश्नरेट लखनऊ ।
5. उ0नि0 राज सोनकर थाना सआदतगंज , कमिश्नरेट लखनऊ
6. उ0नि0 सूरज कुमार थाना सआदतगंज , कमिश्नरेट लखनऊ
7. उ0नि0 अंकित कुमार सर्विलांस टीम पश्चिमी जोन कमिश्नरेट लखनऊ
8. उ0नि0 मो0 अहमद सर्विलांस टीम पश्चिमी जोन कमिश्नरेट लखनऊ
9. उ0नि0 श्री सन्तोष कुमार सिंह थाना दुबग्गा, कमिश्नरेट लखनऊ
10. हे0का0 सुभान खान थाना दुबग्गा, कमिश्नरेट लखनऊ
11. हे0का0 शमीम अख्तर सर्विलांस टीम पश्चिमी जोन कमिश्नरेट लखनऊ
12. हे0का0 वीर सिंह सर्विलांस टीम पश्चिमी जोन कमिश्नरेट लखनऊ
13. हे0का0 प्रदीप कुमार तिवारी सर्विलांस टीम पश्चिमी जोन कमिश्नरेट लखनऊ
14. का0 अभिलेख चौधरी थाना सआदतगंज , कमिश्नरेट लखनऊ
15. का0 अजय कुमार सिंह थाना सआदतगंज , कमिश्नरेट लखनऊ
16. का0 अवनीश कुमार थाना सआदतगंज , कमिश्नरेट लखनऊ
17. का0 प्रियांशु शुक्ला थाना सआदतगंज , कमिश्नरेट लखनऊ
18. का0 विनोद कुमार यादव थाना दुबग्गा, कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.- 1984
दिनांक - 02.11.2026

क्राइम ब्रांच-आपरेशन डिजीटल कवच

अवैध SIM Box प्रकरण में तकनीकी जांच व प्रगति आख्या

पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ द्वारा अवैध रूप से संचालित SIM Box के संबंध में की गई कार्रवाई के क्रम में मामले की विस्तृत तकनीकी एवं विधिक विवेचना की जा रही है। पूर्व में की गई कार्रवाई के दौरान लखनऊ के विभिन्न स्थानों से 06 32-पोर्ट SIM Box सहित राउटर, VPN Gateway एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक तथा नेटवर्किंग उपकरण बरामद किए गए थे।

जाँच के दौरान 192 e-sim सक्रिय पाये गये। कमरे के निगरानी हेतु अपराधियो के द्वारा घर के मुख्य द्वार पर cctv कैमरा न लगाकर wi-fi से कनेक्टेड फेस डोर बेल का प्रयोग करते थे जिससे किसी के भी आने जाने की जानकारी हो सके । बरामद SIM Box उपकरणों पर "Made in China" अंकित पाया गया है। इसके अतिरिक्त, तलाशी के दौरान Sound Amplifier के disassembled पुर्जे एवं संबंधित सामग्री भी बरामद हुई है। जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अवैध सिम वाक्स को साउंड एम्पलीफायर के रुप में अवैध तरीके से लाया गया है बरामद उपकरणों के स्रोत, आपूर्ति श्रृंखला तथा भारत में इनके प्रवेश के संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है। उक्त बरामद उपकरणो के विवरण के लिए सम्बन्धित टेलिकाम कम्पनी से भी पत्राचार किया गया है ।

SIM Box क्या है और इसका दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है

SIM Box एक दूरसंचार उपकरण है, जिसमें एक साथ अनेक SIM कार्ड लगाए जा सकते हैं। इसका दुरुपयोग इंटरनेट आधारित कॉल को मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से आगे भेजने के लिए किया जा सकता है।

उदाहरण के रूप में, यदि कोई साइबर अपराधी विदेश में बैठकर भारतीय नागरिकों को निशाना बनाना चाहता है, तो वह सीधे विदेशी टेलीफोन नंबर से कॉल करने के बजाय ऐसी अनधिकृत व्यवस्था का दुरुपयोग कर सकता है। इंटरनेट के माध्यम से कॉल भारत में स्थापित SIM Box तक पहुंचाई जा सकती है और वहां लगे भारतीय मोबाइल SIM के माध्यम से उसे भारतीय नागरिक तक पहुंचाया जा सकता है।

ऐसी स्थिति में पीड़ित को कॉल भारतीय मोबाइल नंबर से आती हुई दिखाई दे सकती है, जबकि कॉल का वास्तविक संचालक किसी अन्य देश में हो सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था का दुरुपयोग कॉल के वास्तविक स्रोत को छिपाने तथा बड़ी संख्या में कॉल संचालित करने के लिए किया जा सकता है।

डिजिटल अरेस्ट, निवेश धोखाधड़ी तथा अन्य प्रतिरूपण आधारित साइबर अपराधों में अपराधी स्वयं को पुलिस, कानून प्रवर्तन एजेंसियों अथवा अन्य संस्थानों का अधिकारी बताकर पीड़ितों से संपर्क कर सकते हैं। ऐसे अपराधों में प्रयुक्त दूरसंचार एवं तकनीकी संसाधनों की जांच महत्वपूर्ण है।

सार्वजनिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से जांच

अनधिकृत दूरसंचार उपकरणों एवं व्यवस्थाओं का दुरुपयोग केवल आर्थिक साइबर अपराधों तक सीमित नहीं हो सकता। विभिन्न प्रकार के संगठित एवं अन्य गैरकानूनी नेटवर्क भी अपनी पहचान अथवा संचार के वास्तविक स्रोत को छिपाने के लिए अनधिकृत दूरसंचार माध्यमों का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस दृष्टि से ऐसे उपकरणों की बरामदगी एवं उनके उपयोग की गहन तकनीकी जांच सार्वजनिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

इस प्रकरण में किसी विशेष संगठन अथवा नेटवर्क से संबंध के संबंध में जांच जारी है और विवेचना में प्राप्त तथ्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

तकनीकी जांच एवं देशव्यापी सत्यापन

बरामद SIM Box एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से प्राप्त IMEI एवं अन्य तकनीकी पहचान विवरणों का विस्तृत परीक्षण किया जा रहा है। इन तकनीकी विवरणों का राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर उपलब्ध साइबर अपराध संबंधी शिकायतों के साथ मिलान किया जा रहा है।

साथ ही, संबंधित तकनीकी विवरणों को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के साथ साझा किया जा रहा है, ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि इन उपकरणों अथवा संबंधित तकनीकी पहचान विवरणों का संबंध देश के किसी अन्य भाग में दर्ज साइबर अपराध की शिकायतों से है अथवा नहीं।

मकान मालिकों एवं संपत्ति स्वामियों के लिए महत्वपूर्ण अपील

पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ सभी मकान मालिकों एवं संपत्ति स्वामियों से अपील करती है कि वे मकान, फ्लैट अथवा कमरा किराये पर देते समय आवश्यक सावधानी बरतें।

किरायेदार का पुलिस सत्यापन अवश्य कराएं। किराये पर दिए गए परिसर का समय-समय पर निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि परिसर का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, जिसके लिए उसे किराये पर दिया गया है।

यदि कोई व्यक्ति सामान्य बाजार दर से असामान्य रूप से अधिक किराया देने की पेशकश करता है, परिसर के उपयोग के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं देता अथवा परिसर में असामान्य मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक या नेटवर्किंग उपकरण स्थापित करता है, तो सतर्क रहें और ऐसी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को दें।

"भारत सरकार के Telecommunications (Radio Equipment Possession Authorisation) Rules, 2026 के अनुसार, ऐसे रेडियो उपकरण जिनमें 4 से अधिक SIM की क्षमता वाले उपकरणों का उपयोग या कब्जा संबंधित नियमों एवं आवश्यक प्राधिकरण के अधीन होता है।इस मामले में 32-पोर्ट SIM Box बरामद हुए हैं। इसलिए इनके स्रोत, भारत में आने के माध्यम, वैधानिक अनुमति तथा इनके उपयोग की गहन जांच की जा रही है| मकान मालिकों से अपील है कि वे किरायेदारों का पुलिस सत्यापन अवश्य कराएं तथा किराये पर दिए गए परिसर का समय-समय पर निरीक्षण करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को दें।"

-Kiran Yadav IPS, Nodal Officer, Cyber Crime, Police Commissionerate, Lucknow.

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1986

दिनांक- 02.11.2026

जोन-उत्तरी/थाना-माल

- **थाना माल पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना का किया गया सफल अनावरण, 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.11.2026 को वादिनी श्रीमती मीना रावत पत्नी स्व0 नन्हके रावत नि0 ग्राम बीघापुर थाना माल लखनऊ द्वारा उपस्थित थाना आकर बावत विपक्षीगण द्वारा वादी के पति को ईंट से मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 243/26 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस व 3(2)(V) एससी0/एसटी0 एक्ट बनाम 1- चन्द्रपाल रावत पुत्र स्व0 बोधे 2- रविन्द्र विश्वकर्मा पुत्र रामआसरे नि0 गण ग्राम बीघापुर थाना माल लखनऊ 3-कल्लू सिंह पुत्र कन्हई लाल नि0 ग्राम पुरथाँवा औरास जनपद उन्नाव के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था।

दिनांक 02.11.2026 को उ0नि0 गिरीश दत्त पाण्डेय, उ0नि0 चन्द्रप्रकाश, उ0 नि0 राहुल पाण्डेय मय हमराहीगण के द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त चन्द्रपाल रावत व रविन्द्र विश्वकर्मा को गोपरामऊ ट्यूबवेल के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से आलाकत्ल (ईंट के गुम्मे) एवं खूनालूद कपड़े इत्यादि बरामद किया गया।

हत्या के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो अभियुक्त चन्द्रपाल रावत ने बताया कि मृतक नन्हके उर्फ बलऊ का भतीजा सन्तोष मुझसे 2500/- रुपये उधार लिया था जो नही दे रहा था मेरा रुपया वापस दिलाने के लिए मृतक नन्हके उर्फ बलऊ ने मुझे सन्तोष के घर बुलाया था जहां पर सन्तोष व सन्तोष कि पत्नी ने मुझे बहुत बुरा-भला कहा तथा दुर्व्यवहार किया जिससे मै अपने आप को काफी अपमानित महसूस कर रहा था कि मृतक बलऊ ने मुझे धोखे से बुलाकर अपने परिवार वालो से मेरी बेईज्जती करायी और इसी वजह से मैने अपने साथी रविन्द्र विश्वकर्मा के साथ मिलकर गोपरामऊ बाग में ईटो से मारकर उसकी हत्या कर दी थी।

घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल खुनालूद ईंट व अभियुक्त के खूनालूद कपड़े को अभियुक्त की निशादेही पर बृजभूषण शरण इण्टर कालेज के पीछे बाग से बरामद किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त को उसके जुर्म धारा 103(1)/3(5) बीएनएस व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट से अवगत कराते हुए दिनांक 02.11.2026 समय 00.30 बजे गिरफ्तार किया गया तथा विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

02-अनावरित अभियोग का विवरण -

1.मु0अ0सं0 243/26 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट थाना माल जनपद लखनऊ

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण व व्यवसाय-

1- चन्द्रपाल रावत पुत्र स्व0 बोधे नि0 ग्राम बीघापुर थाना माल जनपद लखनऊ उम्र 32 वर्ष (मजदूरी)

2- रविन्द्र विश्वकर्मा पुत्र रामआसरे नि0 ग्राम बीघापुर थाना माल जनपद लखनऊ उम्र 31 वर्ष (मजदूरी)

04-आपराधिक इतिहास रविन्द्र विश्वकर्मा उपरोक्त-

1- मु0अ0सं0 86/18 धारा 302 भादवि व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट थाना माल जनपद लखनऊ

2- मु0अ0सं0 243/26 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट थाना माल जनपद लखनऊ

05-बरामदगी-

- अभियुक्त रविन्द्र के कब्जे से आलाकत्ल एक अदद खूनालूद ईट का गुम्मा तथा पहनी खूनालूदा शर्ट
- अभियुक्त चन्द्रपाल के कब्जे से आलाकत्ल एक अदद खूनालूद ईट का गुम्मा तथा पहना खूनालूदा जींस का पैण्ट

06-गिरफ्तारी करने वाली टीम थाना माल लखनऊ

1. उ0नि0 श्री गिरीश दत्त पाण्डेय
2. उ0 नि0 श्री चन्द्रप्रकाश
3. उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय
4. का0 प्रदीप कुमार
5. का0 निदेश कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1987
दिनांक- 02.11.2026

जोन-उत्तरी/थाना- जानकीपुरम , लखनऊ

- **थाना जानकीपुरम पुलिस टीम नें मानसिक रूप से कमजोर महिला को भेजा गया महिला शरणालय।**

01- संक्षिप्त विवरण-



दिनांक 01.11.2026 को डायल 112 द्वारा प्राप्त सूचना प्राप्त हुई की सहारा स्टेट के पास एक महिला जो मानसिक रूप से कमजोर प्रतीत हो रही है।

तत्काल उपरोक्त सूचना पर थाना स्थानीय की फोर्स पहुंचकर अज्ञात महिला लावारिस को थाना हाजा लाया गया जो कि मानसिक रुप से कमजोर लग रही है।

थाना स्थानीय पर महिलाओ के लिये आश्रय न होने के कारण उपरोक्त महिला को उच्चधिकारीगणों के आदेश निर्देश के क्रम में नियमानुसार कागजात तैयार करते हुए उपरोक्त महिला जो अपना नाम पता नही पता पा रही थी को **अपना घर आश्रय थाना क्षेत्र नाका** आश्रय हेतु दाखिल किया गया।

02- टीम थाना जानकीपुरम लखनऊ:-

1. उ0नि0 श्री संजू मिश्रा
2. म0का0 जोनी
3. म0का0 कमलेश कुमारी
4. का0चालक अजय कुमार रस्तोगी।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1989
दिनांक-02.11.2026

जोन-उत्तरी / थाना- इटौंजा , लखनऊ

- **थाना इटौंजा पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**

01- संक्षिप्त विवरण -

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा अपराधियो एवं वांछित अभियुक्तो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त महोदय उत्तरी जोन व अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी के पर्यवेक्षण में तथा सहायक पुलिस आयुक्त बीकेटी के निर्देशन एवं प्रभारी निरीक्षक थाना इटौजा के कुशल नेतृत्व में वा0सं0- 3301622/09 अ0सं0- 170/90 धारा 457/380/411 भादवि थाना इटौंजा लखनऊ से सम्बन्धित 01 नफर वारंटी को गिरफ्तार किया गया।

02-कार्यवाही का विवरण-

मा0न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय लखनऊ महोदय द्वारा जारी एनबीडब्लू सम्बन्धित वा0सं0 3301622/09 अ0सं0- 170/90 धारा 457/380/411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त जय जयराम पुत्र लक्ष्मिन निवासी ग्राम महेशपुर थाना संदना जनपद सीतापुर उम्र लगभग 55 वर्ष को दिनांक 01.11.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर उसके घर से माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी अधिपत्र दिखाते हुए हिरासत पुलिस लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03-गिरफ्तार वारण्टी का विवरण

1. जय जयराम पुत्र लक्ष्मिन निवासी ग्राम महेशपुर थाना संदना जनपद सीतापुर उम्र लगभग 55 वर्ष व्यवसाय -निल

04- संबंधित वाद -

1. वाद सं0- 3301622/09 मु0अ0सं0 170/90 धारा 457/380/411 भादवि थाना इटौंजा जनपद लखनऊ

05-गिरफ्तार करने वाली टीम थाना इटौंजा लखनऊ:-

1.उ0नि0 श्री आजाद अंसारी थाना इटौंजा लखनऊ

2.का0 अमित चोपड़ा थाना इटौंजा लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1982

दिनांक-02.11.2026

जोन- पूर्वी/ थाना-इन्दिरानगर

- **वादी के पुत्र को जानलेवा हमला कर गम्भीर रूप से घायल करने के आरोपी 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

वादी मुकदमा श्री अविनाश यादव निवासी-मो0 सलाहाबाद,कोतवाली के सामने सलेमपुर ,देवरिया(उ0प्र0) द्वारा दिनांक 30.10.26 को विपक्षीगणों द्वारा वादी के पुत्र उत्कर्ष यादव पर जानलेवा हमला कर मारपीट किये जाने, जिससे वादी के पुत्र के सिर में गंभीर चोट आने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र थाना स्थानीय पर प्राप्त हुआ जिसके आधार पर **मु0अ0स0-0287/2026 धारा-191(2)/191(3)/115(2)/109/131 बीएनएस** बनाम गोलू वर्मा 2.गाजी व अन्य अज्ञात 10-15 व्यक्ति पुत्रगण अज्ञात निवासीगण पंचशील नगर के पंजीकृत हुआ।

उक्त अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री दिलीप कुमार चौबे के द्वारा सम्पादित की जा रही है, जिनके द्वारा **दिनांक 31.10.2026 को** बादशाहखेड़ा नगर के पास मटियारी रोड थाना इन्दिरानगर लखनऊ से उक्त अभियोग से सम्बन्धित **अभियुक्त गोलू वर्मा उर्फ रितिक** पुत्र श्री उमाशंकर वर्मा उर्फ पवन कुमार उम्र 25 वर्ष लगभग निवासी- सियाराम विहार कालोनी थाना इन्दिरानगर लखनऊ व मूल पता-ग्राम काजी खेड़ा बघौली पोस्ट-केवली थाना नगराम लखनऊ को गिरफ्तार करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।

आज दिनांक 02.11.2026 को अभियोग से सम्बन्धित अन्य अभियुक्तगण 1.मोहम्मद समीर उर्फ गाजी पुत्र श्री मोहम्मद शहजाद निवासी- विवेकानंद कॉलोनी थाना इंदिरा नगर लखनऊ उम्र 20 वर्ष लगभग 2.सफीउल्लाह उर्फ आलम पुत्र श्री अब्दुल्लाह निवासी के0बी0 हॉस्पिटल के पास तकरोही बाजार थाना इंदिरा नगर लखनऊ, मूल पता-ग्राम सिरसिया राजा थाना शोहरत गढ़ जनपद सिद्धार्थ नगर उम्र 30 वर्ष लगभग 3.करन मिश्रा पुत्र परशुराम मिश्रा निवासी श्लोक विहार कॉलोनी थाना इन्दिरानगर लखनऊ उम्र 20 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर शक्तिमाता मन्दिर फतहापुरवा मन्दिर के पास थाना इन्दिरानगर लखनऊ से समय करीब 12.10 बजे गिरफ्तार करते हुये थाना हाजा लाकर दाखिल किया गया तथा दौराने विवेचना उक्त अभियोग में धारा 109(1) बीएनएस की बढोतरी करते हुये धारा 109 बीएनएस का लोप किया गया। उक्त अभियोग में तमामी विवेचना से प्रकाश में आये अन्य आरोपीगण अन्य अज्ञात की तलाश पतारसी सुरागरसी प्रचलित है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. मोहम्मद समीर उर्फ गाजी पुत्र श्री मोहम्मद शहजाद निवासी- विवेकानंद कॉलोनी थाना इंदिरा नगर लखनऊ उम्र 20 वर्ष लगभग (पढाई करता है।)
2. सफीउल्लाह उर्फ आलम पुत्र श्री अब्दुल्लाह निवासी के0बी0 हॉस्पिटल के पास तकरोही बाजार थाना इंदिरा नगर लखनऊ, मूल पता - ग्राम सिरसिया राजा थाना शोहरत गढ़ जनपद सिद्धार्थ नगर उम्र 30 वर्ष लगभग (पढाई करता है।)
3. करन मिश्रा पुत्र परशुराम मिश्रा निवासी श्लोक विहार कॉलोनी थाना इन्दिरानगर लखनऊ उम्र- 20 वर्ष (पढाई करता है।)

03-गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम -

1.नि0 श्री अजय नारायण सिंह थाना इन्दिरानगर लखनऊ
2.उ0नि0 श्री दिलीप कुमार चौबे, थाना इन्दिरानगर लखनऊ
3.उ0नि0 श्री राजेश कुमार यादव, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।
4.हे0का0 अखिलेश कुमार शर्मा, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।
5.का0 रितेश कुमार पटेल, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1981
दिनांक-02.11.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-गोसाईगंज

- **थाना गोसाईगंज पुलिस टीम द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

श्री तरुण गाबा श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ महोदय व श्री मोहम्मद मुश्ताक श्रीमान पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के कुशल निर्देशन व श्री रल्लापल्ली वसन्थ कुमार अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी व श्री ऋषभ यादव सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज के कुशल पर्यवेक्षण एवं श्री डी.के. सिंह प्रभारी निरीक्षक गोसाईगंज के कुशल नेतृत्व में प्रचलित NBW अभियान के अन्तर्गत थाना गोसाईगंज पुलिस द्वारा दिनांक 01/02.11.2026 को 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त वारण्टी अभियुक्तगण मा0 न्यायालय द्वारा बार-2 सम्मन भेजे जाने के बाद भी मा0 न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे, जिनके विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय वारण्ट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया गया था।

थाना स्थानीय से 02 पुलिस टीमों का गठन कर 02 वारण्टी अभियुक्तों को उनके घर से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है।

02-नाम पता वारण्टी अभियुक्तगण-

1. हरिओम पुत्र रामसिंह यादव निवासी ग्राम सकटू का पुरवा, सदरपुर करोरा थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ उम्र करीब 48 वर्ष।
2. रामचन्दर यादव पुत्र स्व0 सोहनलाल निवासी शाहखेड़ा थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ। उम्र करीब 54 वर्ष

03-सम्बन्धित अभियोग :-

1. केस सं0 39464/20 धारा 138 एनआई एक्ट थाना अलीगंज लखनऊ (विरुद्ध क्रमांक 1)
2. केस नं0 91118/14 धारा 323/504 भा0द0वि0 थाना गोसाईगंज जनपद (विरुद्ध क्रमांक 1)
3. केस नं0 34112/20 धारा 138 एनआई एक्ट थाना गोसाईगंज जनपद (विरुद्ध क्रमांक 1)
4. केस नं0 34104/20 धारा 138 एनआई एक्ट थाना गोसाईगंज जनपद (विरुद्ध क्रमांक 1)
5. मु0अ0सं0 126/04 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गोसाईगंज, लखनऊ (विरुद्ध क्रमांक 2)

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- थाना गोसाईगंज पुलिस टीम, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1989
दिनांक-02.11.2026

जोन-उत्तरी / थाना- इटौंजा , लखनऊ

- **थाना इटौंजा पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**

01- संक्षिप्त विवरण -

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा अपराधियो एवं वांछित अभियुक्तो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त महोदय उत्तरी जोन व अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी के पर्यवेक्षण में तथा सहायक पुलिस आयुक्त बीकेटी के निर्देशन एवं प्रभारी निरीक्षक थाना इटौजा के कुशल नेतृत्व में वा0सं0- 3301622/09 अ0सं0- 170/90 धारा 457/380/411 भादवि थाना इटौंजा लखनऊ से सम्बन्धित 01 नफर वारंटी को गिरफ्तार किया गया।

02-कार्यवाही का विवरण-

मा0न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय लखनऊ महोदय द्वारा जारी एनबीडब्लू सम्बन्धित वा0सं0 3301622/09 अ0सं0- 170/90 धारा 457/380/411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त जय जयराम पुत्र लक्ष्मिन निवासी ग्राम महेशपुर थाना संदना जनपद सीतापुर उम्र लगभग 55 वर्ष को दिनांक 01.11.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर उसके घर से माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी अधिपत्र दिखाते हुए हिरासत पुलिस लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03-गिरफ्तार वारण्टी का विवरण

1. जय जयराम पुत्र लक्ष्मिन निवासी ग्राम महेशपुर थाना संदना जनपद सीतापुर उम्र लगभग 55 वर्ष व्यवसाय -निल

04- संबंधित वाद -

1. वाद सं0- 3301622/09 मु0अ0सं0 170/90 धारा 457/380/411 भादवि थाना इटौंजा जनपद लखनऊ

05-गिरफ्तार करने वाली टीम थाना इटौंजा लखनऊ:-

1.उ0नि0 श्री आजाद अंसारी थाना इटौंजा लखनऊ

2.का0 अमित चोपड़ा थाना इटौंजा लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1982

दिनांक-02.11.2026

जोन- पूर्वी/ थाना-इन्दिरानगर

- **वादी के पुत्र को जानलेवा हमला कर गम्भीर रूप से घायल करने के आरोपी 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

वादी मुकदमा श्री अविनाश यादव निवासी-मो0 सलाहाबाद,कोतवाली के सामने सलेमपुर ,देवरिया(उ0प्र0) द्वारा दिनांक 30.10.26 को विपक्षीगणों द्वारा वादी के पुत्र उत्कर्ष यादव पर जानलेवा हमला कर मारपीट किये जाने, जिससे वादी के पुत्र के सिर में गंभीर चोट आने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र थाना स्थानीय पर प्राप्त हुआ जिसके आधार पर **मु0अ0स0-0287/2026 धारा-191(2)/191(3)/115(2)/109/131 बीएनएस** बनाम गोलू वर्मा 2.गाजी व अन्य अज्ञात 10-15 व्यक्ति पुत्रगण अज्ञात निवासीगण पंचशील नगर के पंजीकृत हुआ।

उक्त अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री दिलीप कुमार चौबे के द्वारा सम्पादित की जा रही है, जिनके द्वारा **दिनांक 31.10.2026 को** बादशाहखेड़ा नगर के पास मटियारी रोड थाना इन्दिरानगर लखनऊ से उक्त अभियोग से सम्बन्धित **अभियुक्त गोलू वर्मा उर्फ रितिक** पुत्र श्री उमाशंकर वर्मा उर्फ पवन कुमार उम्र 25 वर्ष लगभग निवासी- सियाराम विहार कालोनी थाना इन्दिरानगर लखनऊ व मूल पता-ग्राम काजी खेड़ा बघौली पोस्ट-केवली थाना नगराम लखनऊ को गिरफ्तार करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।

आज दिनांक 02.11.2026 को अभियोग से सम्बन्धित अन्य अभियुक्तगण 1.मोहम्मद समीर उर्फ गाजी पुत्र श्री मोहम्मद शहजाद निवासी- विवेकानंद कॉलोनी थाना इंदिरा नगर लखनऊ उम्र 20 वर्ष लगभग 2.सफीउल्लाह उर्फ आलम पुत्र श्री अब्दुल्लाह निवासी के0बी0 हॉस्पिटल के पास तकरोही बाजार थाना इंदिरा नगर लखनऊ, मूल पता-ग्राम सिरसिया राजा थाना शोहरत गढ़ जनपद सिद्धार्थ नगर उम्र 30 वर्ष लगभग 3.करन मिश्रा पुत्र परशुराम मिश्रा निवासी श्लोक विहार कॉलोनी थाना इन्दिरानगर लखनऊ उम्र 20 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर शक्तिमाता मन्दिर फतहापुरवा मन्दिर के पास थाना इन्दिरानगर लखनऊ से समय करीब 12.10 बजे गिरफ्तार करते हुये थाना हाजा लाकर दाखिल किया गया तथा दौराने विवेचना उक्त अभियोग में धारा 109(1) बीएनएस की बढोतरी करते हुये धारा 109 बीएनएस का लोप किया गया। उक्त अभियोग में तमामी विवेचना से प्रकाश में आये अन्य आरोपीगण अन्य अज्ञात की तलाश पतारसी सुरागरसी प्रचलित है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. मोहम्मद समीर उर्फ गाजी पुत्र श्री मोहम्मद शहजाद निवासी- विवेकानंद कॉलोनी थाना इंदिरा नगर लखनऊ उम्र 20 वर्ष लगभग (पढाई करता है।)
2. सफीउल्लाह उर्फ आलम पुत्र श्री अब्दुल्लाह निवासी के0बी0 हॉस्पिटल के पास तकरोही बाजार थाना इंदिरा नगर लखनऊ, मूल पता - ग्राम सिरसिया राजा थाना शोहरत गढ़ जनपद सिद्धार्थ नगर उम्र 30 वर्ष लगभग (पढाई करता है।)
3. करन मिश्रा पुत्र परशुराम मिश्रा निवासी श्लोक विहार कॉलोनी थाना इन्दिरानगर लखनऊ उम्र- 20 वर्ष (पढाई करता है।)

03-गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम -

1.नि0 श्री अजय नारायण सिंह थाना इन्दिरानगर लखनऊ
2.उ0नि0 श्री दिलीप कुमार चौबे, थाना इन्दिरानगर लखनऊ
3.उ0नि0 श्री राजेश कुमार यादव, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।
4.हे0का0 अखिलेश कुमार शर्मा, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।
5.का0 रितेश कुमार पटेल, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1981
दिनांक-02.11.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-गोसाईगंज

- **थाना गोसाईगंज पुलिस टीम द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

श्री तरुण गाबा श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ महोदय व श्री मोहम्मद मुश्ताक श्रीमान पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के कुशल निर्देशन व श्री रल्लापल्ली वसन्थ कुमार अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी व श्री ऋषभ यादव सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज के कुशल पर्यवेक्षण एवं श्री डी.के. सिंह प्रभारी निरीक्षक गोसाईगंज के कुशल नेतृत्व में प्रचलित NBW अभियान के अन्तर्गत थाना गोसाईगंज पुलिस द्वारा दिनांक 01/02.11.2026 को 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त वारण्टी अभियुक्तगण मा0 न्यायालय द्वारा बार-2 सम्मन भेजे जाने के बाद भी मा0 न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे, जिनके विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय वारण्ट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया गया था।

थाना स्थानीय से 02 पुलिस टीमों का गठन कर 02 वारण्टी अभियुक्तों को उनके घर से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है।

02-नाम पता वारण्टी अभियुक्तगण-

1. हरिओम पुत्र रामसिंह यादव निवासी ग्राम सकटू का पुरवा, सदरपुर करोरा थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ उम्र करीब 48 वर्ष।
2. रामचन्दर यादव पुत्र स्व0 सोहनलाल निवासी शाहखेड़ा थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ। उम्र करीब 54 वर्ष

03-सम्बन्धित अभियोग :-

1. केस सं0 39464/20 धारा 138 एनआई एक्ट थाना अलीगंज लखनऊ (विरुद्ध क्रमांक 1)
2. केस नं0 91118/14 धारा 323/504 भा0द0वि0 थाना गोसाईगंज जनपद (विरुद्ध क्रमांक 1)
3. केस नं0 34112/20 धारा 138 एनआई एक्ट थाना गोसाईगंज जनपद (विरुद्ध क्रमांक 1)
4. केस नं0 34104/20 धारा 138 एनआई एक्ट थाना गोसाईगंज जनपद (विरुद्ध क्रमांक 1)
5. मु0अ0सं0 126/04 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गोसाईगंज, लखनऊ (विरुद्ध क्रमांक 2)

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- थाना गोसाईगंज पुलिस टीम, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1980
दिनांक- 02.11.2026

जोन-पश्चिमी/थाना-चौक

➢ **थाना चौक पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारंटी को कोतवाली चौक लखनऊ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।**

01-संक्षिप्त विवरण-

श्री तरूण गाबा श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ महोदय के आदेशानुसार अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही एवं वांछित/वारंटी के विरूद्ध गिरफ्तारी अभियान के क्रम में श्रीमती अपर्णा कुमार श्रीमान् संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय, श्री जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव श्रीमान पुलिस उपायुक्त पश्चिमी तथा श्री धनंजय सिंह कुशवाहा अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिमी लखनऊ के निर्देशन में व श्री शुभम कुमार सहायक पुलिस आयुक्त चौक के मार्गदर्शन में श्री नागेश उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक चौक जनपद लखनऊ के नेतृत्व में चौक पुलिस द्वारा दिनांक 02.11.2026 को करीब 12.30 बजे एक नफर वारंटी अभियुक्त ओम प्रकाश सोनी पुत्र स्व0 चन्द्रिका प्रसाद नि0- 322/12 सुरंगी टोला गोल दरवाजा चौक लखनऊ उम्र– करीब 59 वर्ष को उसके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-वारन्ट विवरण-

1.मा0न्या0 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष सं0- 28 महोदय द्वारा निर्गत एनबीडबल्यू वाद सं0- 12692 /20 क्राईम नं0- 47/19 धारा – 498 ए/323/504/506 व ¾ डीपी एक्ट थाना चौक लखनऊ

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.ओम प्रकाश सोनी पुत्र स्व0 चन्द्रिका प्रसाद नि0- 322/12 सुरंगी टोला गोल दरवाजा चौक लखनऊ उम्र करीब 59 वर्ष

04-अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0- 47/19 धारा – 498 ए/323/504/506 व ¾ डीपी एक्ट थाना चौक लखनऊ

05- गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 जयकृष्ण द्विवेदी थाना चौक कमिश्नेटर लखनऊ
2. का0 परम सिंह, थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.- 1985
दिनांक- 02.11.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-गोसाईगंज लखनऊ

- **थाना गोसाईगंज पुलिस टीम द्वारा नाबालिग किशोरी के साथ गलत काम करने का आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री तरुन गाबा व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री मो0 मुश्ताक के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वंसथ कुमार के कुशल पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज श्री ऋषभ यादव के कुशल मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक गोसाईगंज श्री दिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा नाबालिग किशोरी के साथ गलत काम करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

02-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 02.11.2026 को थाना गोसाईगंज क्षेत्रान्तर्गत निवासी वादी मुकदमा द्वारा एक किता प्रा0पत्र बावत वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 14 वर्ष को पड़ोसी युवक अंकित वर्मा के द्वारा बहला-फुसलाकर गलत काम करने तथा विरोध करने पर मारपीट व गाली गालौज करने तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना गोसाईगंज पर मु0अ0सं0 407/2026 धारा 65(1)/127(2)/333/115(2)/351(3)/352 बीएनएस व 5P/6 पाक्सो एक्ट बनाम अंकित वर्मा पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के निर्देशन में 03 पुलिस टीमें गठित की गई। पुलिस टीमों द्वारा टैक्निकल एवं मैनुअल साक्ष्यों तथा स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से आज दिनांक 02.11.2026 को अभियुक्त अंकित वर्मा पुत्र गौतम किशोर निवासी ग्राम सरईया मजरा महुराकला थाना गोसाईगंज लखनऊ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. अंकित वर्मा पुत्र गौतम किशोर निवासी ग्राम सरईया मजरा महुराकला थाना गोसाईगंज लखनऊ उम्र करीब 31 वर्ष

04-पंजीकृत अभियोग:-

1 .मु0अ0सं0 407/26 धारा 65(1)/127(2)/333/65(1)/115(2)/351(3)/352 बीएनएस व 5P/6 पाक्सो एक्ट थाना गोसाईगंज, लखनऊ

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- थाना गोसाईगंज पुलिस टीम, पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 01.11.2026

यातायात माह -2026

सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश लेकर शुरू हुआ यातायात माह नवम्बर-2026, पुलिस आयुक्त लखनऊ ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया शुभारम्भ।

- **श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री तरुण गाबा द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर यातायात माह नवम्बर-2026 का शुभारम्भ किया गया।**
- **सड़क दुर्घटनाओं में वर्ष 2030 तक 50 प्रतिशत तक कमी लाने के लक्ष्य के साथ यातायात नियमों के प्रति जन-जागरूकता एवं प्रभावी प्रवर्तन पर रहेगा विशेष जोर।**

आज दिनांक 01.11.2026 को रिजर्व पुलिस लाइन्स, लखनऊ में **यातायात माह नवम्बर-2026 का शुभारम्भ श्री तरुण गाबा, पुलिस आयुक्त, लखनऊ महोदय द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर श्री बबलू कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), श्री अर्पित विजयवर्गीय, पुलिस उपायुक्त (मध्य/यातायात), श्री राघवेन्द्र सिंह, अपर पुलिस उपायुक्त (यातायात) एवं श्री राजेश कुमार यादव, अपर पुलिस उपायुक्त (लाइन्स), श्री प्रभात पाण्डेय, (संभागीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ) सहित अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।**

कार्यक्रम के दौरान वॉलंटियर्स- अंशु दीक्षित, एहतशाम सिद्दीकी, नफीस अहमद सहित अन्य प्रतिभागियों द्वारा यातायात जागरूकता अभियान में सहभागिता कर आमजन को यातायात नियमों के पालन हेतु जागरूक किया गया।

कार्यक्रम के दौरान पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री तरुण गाबा द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति जनसामान्य को जागरूक करते हुए बताया गया कि शासन की मंशा के अनुरूप पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ सड़क दुर्घटनाओं एवं उनमें होने वाली मृत्यु की संख्या में कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। स्टॉकहोम घोषणा-2020 के अनुरूप वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में 50 प्रतिशत तक कमी लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु यातायात माह के दौरान विशेष अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।

सुगम, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित यातायात संचालन सुनिश्चित करने हेतु आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं निर्बाध यातायात संचालन के लिए सभी नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई।

पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा सड़क सुरक्षा के पांच प्रमुख स्तम्भों 5E (Five E's) के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया गया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा—

1. **Education (शिक्षा)** – आमजन, छात्र-छात्राओं एवं वाहन चालकों को यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना।
2. **Enforcement (प्रवर्तन)** – यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन एवं वैधानिक कार्यवाही करना।
3. **Engineering (अभियांत्रिकी)** – सड़क एवं यातायात व्यवस्था में सुधार तथा दुर्घटना संभावित स्थलों को चिन्हित कर आवश्यक सुधार कराना।
4. **Emergency Care (आपातकालीन देखभाल)** – सड़क दुर्घटना में घायलों को त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने एवं आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ करना।
5. **Environment (पर्यावरण)** – सुरक्षित एवं सुगम यातायात व्यवस्था के साथ स्वच्छ एवं सुरक्षित परिवेश को बढ़ावा देना।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार यातायात माह नवम्बर-2026 के दौरान कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक जन-जागरूकता अभियान संचालित कर इसके अंतर्गत स्कूलों एवं कॉलेजों में छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने, हल्के एवं भारी वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी देने तथा प्रमुख चौराहों, हाईवे एवं उनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को जागरूक करने हेतु विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

आमजन से यातायात नियमों का पालन करने की अपील

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा आमजन से अपील की जाती है कि सड़क पर स्वयं की एवं अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु यातायात नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें—

- **हेलमेट एवं सीट बेल्ट का प्रयोग करें** – दोपहिया वाहन चलाते समय मानक हेलमेट तथा चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट अवश्य लगाएं।
- **ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें** – रेड लाइट का उल्लंघन न करें तथा यातायात संकेतों एवं चिह्नों का पालन करें।
- **निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाएं** – तेज गति एवं लापरवाही से वाहन चलाने से बचें।
- **नशे की हालत में वाहन न चलाएं** – शराब अथवा किसी अन्य नशीले पदार्थ का सेवन कर वाहन चलाना दुर्घटना का प्रमुख कारण बन सकता है।
- **वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें** – वाहन चलाते समय अपना पूरा ध्यान सड़क पर रखें।
- **सुरक्षित दूरी बनाए रखें** – आगे चल रहे वाहन से उचित दूरी रखें तथा अनावश्यक ओवरटेकिंग से बचें।
- **वाहनों की उचित पार्किंग करें** – निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही वाहन खड़ा करें तथा आकस्मिक स्थिति में वाहन को सुरक्षित स्थान पर खड़ा कर आवश्यक संकेतक एवं पार्किंग लाइट का प्रयोग करें।
- **आपातकालीन वाहनों को रास्ता दें** – एम्बुलेंस, फायर सर्विस एवं अन्य आपातकालीन सेवा वाहनों को तत्काल रास्ता उपलब्ध कराएं।
- **अपने वाहन का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करें।**

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की 400 बाइक सवारों की जागरूकता रैली पुलिस लाइन्स लखनऊ से 1090 तक निकाली गयी

गोष्ठी एवं जागरूकता कार्यक्रम के उपरांत पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री तरुण गाबा द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन्स से लगभग 400 बाइक सवारों की यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। **लखनऊ पुलिस एवं यातायात पुलिस द्वारा आयोजित यह रैली रिजर्व पुलिस लाइन्स से 1090 चौराहे तक निकाली गई। सभी प्रतिभागियों ने हेलमेट पहनकर यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया।**

रैली के माध्यम से आमजन से हेलमेट एवं सीट बेल्ट का प्रयोग करने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने, ओवरस्पीडिंग, स्टंटबाजी, नशे में वाहन चलाने, मोबाइल फोन के प्रयोग एवं गलत दिशा में वाहन चलाने से बचने की अपील की गई। साथ ही नाबालिगों को वाहन न चलाने देने तथा एम्बुलेंस एवं फायर सर्विस को रास्ता देने के प्रति जागरूक किया गया।

अंत में पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा आमजन से अपील की जाती है कि यातायात नियमों का पालन केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं एवं अपने परिवार सहित सड़क पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए करें। आपका एक छोटा सा सावधानीपूर्ण कदम किसी की अमूल्य जिंदगी बचा सकता है।

सुरक्षित चलें – सुरक्षित रहें।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 01.11.2026

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री तरूण गाबा महोदय के निर्देशानुसार रात्रि गश्त एवं ड्यूटी में लापरवाही/गैरहाजिरी बरतने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई

- **रात्रि गश्त एवं ड्यूटी में लापरवाही/गैरहाजिरी बरतने वाले 05 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई।**
- **पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री तरुण गाबा के निर्देशानुसार 05 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर/थाना संबद्ध किया गया।**
- **संबंधित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किए जाने के निर्देश।**

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ, श्री तरूण गाबा महोदय द्वारा **शासन की मंशा के अनरूप** कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने, महिला सुरक्षा एवं अपराधों की रोकथाम के दृष्टिगत **रात्रि गश्त को प्रभावी एवं नियमित रूप से संचालित करने तथा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।**

पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा रात्रि गश्त एवं ड्यूटी में किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही पाये जाने पर गंभीरता से लेते हुए संबंधित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने के आदेश पारित किया गया था।

जिसके क्रम में **पुलिस उपायुक्त पूर्वी, दक्षिणी एवं मध्य** द्वारा रात्रि गश्त एवं ड्यूटी को आकस्मिक चेकिंग की गयी तो डयूटी में निम्न अधिकारी व कर्मचारीगण की रात्रि गश्त में **शिथिलता / गैरहाजिरी** पाए जाने पर निम्नलिखित कार्रवाई की गई है—

- **पूर्वी जोन-**

रात्रि गश्त एवं ड्यूटी के प्रति शिथिलता के दृष्टिगत पुलिस उपायुक्त पूर्वी द्वारा निम्नलिखित चौकी प्रभारियों को तत्काल प्रभाव से उनके **वर्तमान दायित्वों से हटाकर थानों से सम्बद्ध किया गया**—

1. **म0उ0नि0 अर्चना**, चौकी प्रभारी अरावली, थाना गाजीपुर।
2. **उ0नि0 शशिकांत**, चौकी प्रभारी कमता, थाना चिनहट।

- **दक्षिणी जोन-**

रात्रि गश्त ड्यूटी के दौरान गैरहाजिर पाए जाने पर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी द्वारा **थाना सरोजनीनगर में नियुक्त** निम्नलिखित पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से **लाइन हाजिर किया गया**—

1. **उ0नि0 आशीष कुमार**
2. **आरक्षी सतेंद्र यादव**

- **मध्य जोन-**

रात्रि गश्त ड्यूटी से गैरहाजिर पाए जाने पर पुलिस उपायुक्त मध्य द्वारा चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से **लाइन हाजिर किया गया**—

1. **उ0नि0 सत्येन्द्र कुमार**, चौकी प्रभारी निशातगंज, थाना महानगर।

पुलिस आयुक्त लखनऊ महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि रात्रि गश्त एवं ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा गैरहाजिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रात्रि गश्त की नियमित निगरानी एवं समीक्षा की जाएगी तथा ड्यूटी के प्रति उदासीनता बरतने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध इसी प्रकार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1977
दिनांक-01.11.2026

जोन-पश्चिमी/ थाना- सआदतगंज

- **सर्विलांस टीम (प0) एवं थाना सआदतगंज की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मोहल्ला नौबस्ता, ब्राह्मणी टोला में हुये हत्याकांड में वांछित 25 हजार की ईनामिया 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही-

दिनांक 26.10.2026 को थाना सआदतगंज क्षेत्रान्तर्गत हुई हत्याकांड की घटना (मु०अ०सं० 256/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1) BNS) में पूर्व में 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 01.11.2026 को त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा घटना से संबंधित वांछित अभियुक्ता दिव्या शुक्ला पत्नी जितेन्द्र तिवारी पुत्री गिरीश शुक्ला निवासी ब्राह्मणी टोला नौबस्ता थाना सआदतगंज लखनऊ वर्तमान पता-कैलाश स्टेट बरावन कला रोड नियर यूनिटी डिग्री कालेज दुबग्गा लखनऊ को कूडा चौराहा आईआईएम रोड थाना क्षेत्र दुबग्गा से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-संक्षिप्त विवरण:-

अभियुक्तगण के घर के सामने बरगद के पेड के चारो तरफ चबूतरा बनाने व खाली पड़े जमीन पर दूसरे पक्ष द्वारा वाहन खड़े करने/पार्किंग को लेकर विवाद था। जिसको लेकर दिनांक 26.10.2026 को थाना सआदतगंज क्षेत्र के नौबस्ता ब्राहम्णी टोला मोहल्ले में अभियुक्तगण 1. राजेश शुक्ला उर्फ तुन्नू बाबू पुत्र डी0के0 शुक्ला 2. ऋषभ शुक्ला पुत्र दिनेश शुक्ला उर्फ छुन्ना 3. गिरीश शुक्ला 4. दिनेश शुक्ला पुत्र डी0के0 शुक्ला 5. मुन्ना बाबू 6. दिव्या 7. प्रिया 8. अदिति पुत्रीगण श्री दिनेश कुमार द्वारा वादिनी के पति शिवेन्द्र तिवारी उर्फ शम्भू व जेठ शिवा जी तिवारी एवं भतीजा सुयश तिवारी को घेरकर एक राय होकर गाली गलौज करते हुए लाठी डंडो व पत्थर से मारना पीटना एवं गोली मारकर हत्या की घटना कारित की गई थी । इस संबंध में थाना सआदतगंज पर मु०अ०सं० 256/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1) BNS पंजीकृत किया गया था।

घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उच्चाधिकारीगण के निर्देशानुसार थाना स्थानीय से पुलिस टीमों का गठन किया गया था। **उक्त गठित टीम द्वारा पूर्व में दिनांक 26.10.2026, 27.10.2026 व 31.10.26 को कुल 07 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है ।** अभियोग उपरोक्त में शेष 01 अभियुक्ता वांछित थी ।

आज दिनांक 01.11.2026 को पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास कर घटना में नामजद/वांछित चल रही अभियुक्ता दिव्या शुक्ला उपरोक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

03-गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

1. दिव्या शुक्ला पत्नी जितेन्द्र तिवारी पुत्री गिरीश शुक्ला निवासी कैलाश स्टेट बरावन कला रोड नियर यूनिटी डिग्री कालेज दुबग्गा लखनऊ उम्र-करीब 32 वर्ष

04-गिरफ्तारी स्थान एवं दिनांक-

1. **अभियुक्ता दिव्या शुक्ला:** कूडा चौराहा आईआईएम रोड थाना क्षेत्र दुबग्गा — दिनांक 01.11.2026, समय करीब 08.05 बजे।

05-पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु०अ०सं० 256/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1) BNS थाना सआदतगंज लखनऊ

06- आपराधिक इतिहास –

1. दिव्या शुक्ला पत्नी जितेन्द्र तिवारी पुत्री गिरीश शुक्ला निवासी कैलाश स्टेट बरावन कला रोड नियर यूनिटी डिग्री कालेज दुबग्गा लखनऊ उम्र-करीब 32 वर्ष।

क्र0सं	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1	256/26	191(2)/191(3)/190/103(1) BNS	सआदतगंज

07- गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अशोक कुमार सोनकर, थाना सआदतगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. म0उ0नि0 गौरव कुमारी, थाना सआदतगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।
3. उ०नि० पुष्पेन्द्र मौर्या, थाना सआदतगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।
4. उ०नि० रजत कटियार, थाना सआदतगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।
5. उ0नि0 अंकित कुमार, सर्विलांस पश्चिमी जोन, कमिश्नरेट लखनऊ।
6. उ0नि0 मो0 अहमद, सर्विलांस पश्चिमी जोन, कमिश्नरेट लखनऊ।
7. हे0का0 मो0 अर्शी, थाना सआदतगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।
8. हे0का0 शमीम अख्तर, सर्विलांस पश्चिमी जोन, कमिश्नरेट लखनऊ।
9. हे0का0 वीर सिंह, सर्विलांस पश्चिमी जोन, कमिश्नरेट लखनऊ।
10. हे0का0 प्रदीप कुमार तिवारी, सर्विलांस पश्चिमी जोन, कमिश्नरेट लखनऊ।
11. का0 अरुण कुमार, थाना सआदतगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।
12. का0 आशीष कुमार कुशवाहा, सर्विलांस पश्चिमी जोन, कमिश्नरेट लखनऊ।
13. म0का0 सोनी देवी, थाना सआदतगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।
14. म0का0 लक्ष्मी वर्मा, थाना सआदतगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1974
दिनांक-01.11.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-पीजीआई

- **थाना पीजीआई पुलिस टीम द्वारा दुकान में चोरी करने वाले 01 शातिर चोर / अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री तरुन गाबा व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त(दक्षिणी) श्री मो0 मुश्ताक के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वंसथ कुमार तथा सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज श्री ऋषभ यादव के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक पीजीआई श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा दुकान में चोरी करने वाला चोर/अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

02-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 26.10.2026 को वादी दमन दीप सिंह पुत्र सरब जीत सिंह द्वारा लिखित तहरीर में बताया गया कि दिनांक 26.10.2026 को मेरी दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी (प्रिंस) द्वारा दुकान मे रखी नकदी को निकाल कर ले गया है। प्राप्त सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 542/2026 धारा 306 बीएनएस थाना पीजीआई, कमिश्नरेट लखनऊ पंजीकृत कराया गया।

इसी क्रम में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के निर्देशन में 03 पुलिस टीमे गठित की गयी। पुलिस टीमों द्वारा टैक्निकल, मैनुअल एवं स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से अभियुक्त प्रिन्स गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडी:-

पूछताछ करने पर अभियुक्त प्रिंस ने बताया कि साहब, दुकान के गल्ले में रखे हुए रुपये देखकर मेरी नीयत खराब हो गई थी। मेरे मन में लालच आ गया और मैंने रुपये चोरी करने की योजना बना ली। दिनांक 26.06.2026 को सुबह के समय मैं दुकान में घुसा और गल्ले में रखे करीब 1,50,000/- रुपये चोरी कर वहां से भाग गया। साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. प्रिन्स गुप्ता पुत्र महेश गुप्ता निवासी 594क/38 नीलमथा थाना कैन्ट जनपद लखनऊ उम्र 20 वर्ष।

05-अनावरित अभियोग का विवरण:-

1. मु0अ0सं0 542/2026 धारा 306 बीएनएस व बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना पीजीआई लखनऊ।

06-बरामदगी:-

- 34210 रुपये।
- एक अदद एण्ड्रॉयड मोबाइल (जामा तलाशी)

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- कोतवाली पीजीआई पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.- 1975
दिनांक-01.11.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-निगोहां

- **थाना निगोहाँ पुलिस द्वारा लापता 10 वर्षीय बालक को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया।**

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक-31.10.2026 को रात्रि करीब 22.00 बजे ग्राम उतरांवा निवासिनी द्वारा एक किता प्रा0पत्र बाबत प्रार्थिनी का पुत्र उम्र 10 वर्ष घर से कही चले जाने तथा वापस न आने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था। जिसके आधार पर थाना निगोहां पर मु0अ0सं0 154/2026 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया है।

मामले की गंभीरता और बालक की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के निर्देशन में थाना निगोहां पर तत्काल पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा घर के आस-पास तथा रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया तथा अन्य स्थानों पर बालक की फोटो आदि दिखाकर तलाश किया गया। काफी खोजबीन के बाद, वादिनी का पुत्र बछरांवा जनपद रायबरेली से सकुशल बरामद किया गया।

बालक के माता पिता और ग्रामीणों ने निगोहाँ पुलिस की कार्यकुशलता और तत्परता की भूरि-भूरि प्रशंसा की है।

बरामद करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री हर्ष वर्मा
2. उ0नि0 चन्दन कुमार यादव
3. का0 मुनेन्द्र कुमार
4. म0का0 बॉबी

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.- 1976
दिनांक-01.11.2026

जोन-पूर्वी/थाना-गुडम्बा

- **थाना गुडम्बा पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्त गिरफ्तार।**
- **कब्जे से चोरी के सफेद-पीली धातु के आभूषण एवं ₹2,500/-नकद व 01 अदद मो0सा0 बरामद।**

01- संक्षिप्त विवरण-

वादी मुकदमा श्री समीश सिंह पुत्र श्री पूर्णमासी सिंह निवासी सी-71, कल्याणपुर रिंग रोड, संजीवनी गैस्ट्रो-न्यूरो क्लिनिक, फैमिली बाजार-3 के सामने, थाना गुडम्बा, लखनऊ द्वारा दिनांक 31.10.2026 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 417/2026 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। वादी के अनुसार दिनांक 30.10.2026 को समय करीब 01:52 बजे अज्ञात व्यक्ति मकान के मेन गेट के ऊपर से घर में प्रवेश कर कमरे में रखे सोने-चाँदी एवं हीरे के आभूषण चोरी कर ले गया था।

दिनांक 31.10.2026 को उ0नि0 अंकुर मिश्रा मय हमराही पुलिस बल क्षेत्र में चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित माल-मुल्जिमान की तलाश में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त की चोरी से सम्बन्धित व्यक्ति अपने साथी के साथ गुरुनानक लॉन, सेक्टर-जे, जानकीपुरम की ओर आने वाली सड़क पर सफेद अपाचे मो0सा0 के पास चोरी का माल बेचने की फिराक में मौजूद है।

सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर दो संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पूछताछ एवं जामा तलाशी में अभियुक्त शाहिद खान उर्फ अब्दुल समद के कब्जे से पीली धातु की चैन 01 अदद, नथिया 01 अदद, सफेद धातु की पायल 01 जोड़ी, बिछिया 01 जोड़ी, पीली धातु की अंगूठी 01 अदद, कान का टप्स 01 अदद तथा ₹500/- नकद बरामद हुए। अभियुक्त सुमैल हसनैन के कब्जे से पीली धातु की बड़ी झुमकी 01 जोड़ी तथा ₹2,000/- नकद बरामद हुए। इस प्रकार कुल ₹2,500/- नकद एवं आभूषण बरामद हुए।

बरामद आभूषणों की वादी मुकदमा समीश सिंह द्वारा मौके पर शिनाख्त की गयी तथा उन्हें अपने घर से चोरी हुआ माल बताया गया। बरामदगी एवं साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त शाहिद खान उर्फ अब्दुल समद के विरुद्ध धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्त सुमैल हसनैन की संलिप्तता के आधार पर धारा 317(5) बीएनएस के अन्तर्गत नाम प्रकाश में आया। अभियुक्तों को दिनांक 31.10.2026 को 23:50 बजे सेक्टर-जे जानकीपुरम से गिरफ्तार किया गया।

02- पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्तगण के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी के आभूषण बरामद हुए। अभियुक्त शाहिद खान उर्फ अब्दुल समद ने बताया कि चोरी किये गये आभूषणों का कुछ हिस्सा अपने साथी सुमैल हसनैन के साथ बांटकर राह चलते व्यक्तियों को बेचने का प्रयास कर रहे थे। अभियुक्त सुमैल हसनैन ने बताया कि शाहिद द्वारा चोरी किया हुआ कुछ माल उसे बेचने के लिए दिया गया था तथा दोनों मिलकर उसे राह चलते लोगों को बेचने का प्रयास कर रहे थे। अभियुक्तगण ने यह भी बताया कि चोरी का कुछ अन्य सामान अज्ञात राहगीरों को बेच दिया गया था तथा उससे प्राप्त धनराशि खर्च कर दी गयी।

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 417/2026 धारा 305(ए)/317(2)/317(5) बीएनएस, थाना गुडम्बा, कमिश्नरेट लखनऊ।

आपराधिक इतिहास शाहिद खान

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना / जनपद
1	945/23	379/411 IPC	कोतवाली बाराबंकी
2	1043/23	380 IPC	कोतवाली बाराबंकी
3	1140/23	379/411 IPC	कोतवाली बाराबंकी
4	845/24	305(e)/62 BNS	कोतवाली बाराबंकी
5	965/24	305(e)/331(4) BNS	कोतवाली बाराबंकी
6	992/24	305/331(4)/62 BNS	कोतवाली बाराबंकी
7	105/25	305(a)/317(2)/331(4) BNS	कोतवाली बाराबंकी
8	558/25	305(a)/317(2)/331(4) BNS	कोतवाली बाराबंकी
9	745/25	305(a)/317(2)/317(4)/331(4) BNS	कोतवाली बाराबंकी

आपराधिक इतिहास सुमैल हसनैन

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना / जनपद
1	232/13	380/411/457 IPC	तालकटोरा लखनऊ
2	233/13	380/411 IPC	तालकटोरा लखनऊ
3	167/17	380/411/457 IPC	ठाकुरगंज लखऊ
4	462/18	380/411/457 IPC	मोहनलालगंज लखनऊ
5	239/18	380/411/457 IPC	निगोहा लखनऊ
6	592/18	380/457 IPC	आशियाना लखनऊ
7	593/18	380/457 IPC	आशियाना लखनऊ
8	594/18	380/457 IPC	आशियाना लखनऊ
9	867/18	380/411/413/457 IPC	चिनहट लखनऊ
10	943/18	395/412 IPC	पी जी आई लखनऊ
11	946/18	3/5 A Act	पी जी आई लखनऊ
12	236/19	2/3 Gangster Act	पी जी आई लखनऊ

04-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. शाहिद खान उर्फ अब्दुल समद पुत्र स्व0 फिरोज खान निवासी नियर कर्बला के पास बेगमगंज, थाना कोतवाली, जनपद बाराबंकी, उम्र करीब 22 वर्ष।
2. सुमैल हसनैन पुत्र हसीम नवाब निवासी कटरा मोहम्मद शिवाला, थाना सआदतगंज, जनपद लखनऊ, उम्र करीब 25 वर्ष।

05-बरामदगी-

- चैन पीली धातु 01 अदद, नथिया जिसमें सफेद व लाल रंग के नग जड़ित 01 अदद, पायल सफेद धातु 01 जोड़ी, बिछिया सफेद धातु 01 जोड़ी, अगूंठी पीली धातु 01 अदद, बड़ी झुमकी पीली धातु 01 जोड़ी, कान का टप्स पीली धातु 01
- नकद धनराशि रू 2,500/-
- 01 अदद सफेद अपाचे मोटरसाइकिल संख्या UP32JL0630 को वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत न करने पर धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

06-गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम थाना गुडम्बा लखनऊ

1.प्रभारी निरीक्षक श्री अंजनी कुमार मिश्र
2.उ0नि0 श्री राहुल द्विवेदी
3.उ0नि0 श्री अंकुर मिश्रा
4.उ0नि0 श्री शिवशंकर
5.हे0का0 राजन त्रिपाठी
6.का0 गोविन्द पाल
7.का0 रघुवीर यादव
8.का0 रवेन्द्र पाल

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1973
दिनांक- 01.11.2026

क्राइम ब्रांच-आपरेशन डिजीटल कवच

डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों में इस्तेमाल होने वाले अवैध SIM Box पर लखनऊ पुलिस की बड़ी कार्रवाई—06 SIM Box बरामद।

01-संक्षिप्त विवरण-

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय श्री तरुण गाबा, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के निर्देशन में, श्रीमान् संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार के मार्गदर्शन में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त (अपराध) श्री अनिल यादव के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) श्रीमती किरन यादव के पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त (अपराध) सुश्री शाहिदा नसरीन के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित SIM Box के संबंध में प्राप्त तकनीकी सूचना के आधार पर विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की गई।

उपलब्ध तकनीकी सूचना के आधार पर एक संदिग्ध मोबाइल नंबर की CDR एवं अन्य तकनीकी तथ्यों का गहन विश्लेषण किया गया। दूरसंचार एवं इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों से प्राप्त जानकारी का तकनीकी परीक्षण एवं विश्लेषण करते हुए उक्त मोबाइल नंबर से जुड़े विभिन्न हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्शनों एवं संदिग्ध स्थानों को चिन्हित किया गया। तत्पश्चात प्राप्त तकनीकी साक्ष्यों एवं सूचनाओं के आधार पर संदिग्ध स्थानों की पहचान कर अग्रिम आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस टीम गठित कर प्रभावी कार्यवाही की गई।

दिनांक 31.10.2026 को साइबर थाना एवं साइबर क्राइम सेल की संयुक्त टीमों द्वारा समन्वित कार्रवाई करते हुए लखनऊ के निम्नलिखित चार संदिग्ध स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया –

- स्वाति अपार्टमेंट, थाना सुशांत गोल्फ सिटी
- आशीर्वाद बिल्डिंग, आदर्श विहार, थाना पारा
- गोल्ड लाइन अपार्टमेंट, थाना बीबीडी
- जीजे पैराडाइज, आदर्श नगर, थाना चिनहट

02-बरामदगी का विवरण

क्र.सं.	बरामद सामग्री	संख्या
1	अवैध 32-पोर्ट SIM Box	06
2	VPN Gateway	03
3	Smart Switch	21
4	Smart Hub	03
5	इनवर्टर/UPS	04
6	बैटरियां	18
7	Wi-Fi/नेटवर्क राउटर, कैमरे एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	विभिन्न
8	लॉक टैबलेट	01
9	सिम स्लाट	192

बरामद सभी डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विस्तृत तकनीकी परीक्षण कराया जा रहा है, जिससे इनके वास्तविक उपयोग, संबंधित SIM कार्डों, कॉलिंग पैटर्न एवं इस नेटवर्क से जुड़े व्यक्तियों के संबंध में साक्ष्य एकत्र किए जा सकें।

इस संबंध में साइबर थाना, लखनऊ में अभियोग पंजीकृत किया गया है। मामले में अग्रिम विवेचना एवं तकनीकी जांच जारी है।

"बरामद 06 अवैध 32-पोर्ट SIM Box ऐसे उपकरण हैं जिनमें एक साथ कई SIM कार्ड लगाए जा सकते हैं और जिनका दुरुपयोग इंटरनेट आधारित कॉलिंग को विभिन्न मोबाइल SIM के माध्यम से संचालित करने में किया जा सकता है। डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों में अपराधी स्वयं को पुलिस, CBI अथवा अन्य सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर पीड़ितों को डराते हैं और कॉल के माध्यम से लगातार दबाव बनाते हैं। इस प्रकार की अवैध कॉलिंग व्यवस्था में SIM Box का उपयोग बड़ी संख्या में कॉल संचालित करने तथा कॉल के वास्तविक स्रोत को छिपाने के लिए किया जा सकता है। लखनऊ पुलिस साइबर अपराध के विरुद्ध सतर्क एवं प्रतिबद्ध है।" – श्रीमती किरन यादव, I.P.S., नोडल ऑफिसर साइबर क्राइम, पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ।